

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

पत्रांक: 138 / शस्त्र दिनांक: 21-4-2015

आदेश

संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-II) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 11018/11/2011 आर्म्स दिनांक 31.12.2012 के आलोक में इस जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का Data Base of Arms Licence NIC द्वारा विकसित विहित प्रपत्र में तैयार किया जाना है।

इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों को विहित प्रपत्र में डाटा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12.01.2014 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा में सूचना प्रकाशित की गयी। परन्तु अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना भरकर जमा नहीं करने के कारण उनकी असुविधा को देखते हुए सभी थानाध्यक्ष/ओपीओ अध्यक्ष को विहित प्रपत्र संलग्न कर व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद भी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना भरकर जमा नहीं किया गया। पुनः विहित प्रपत्र में डाटा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12.09.2014 को हिन्दुस्तान, दिनांक 17.09.2014 दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर, दिनांक 03.02.2015 प्रभात खबर में सूचना प्रकाशित की गयी। विहित प्रपत्र में डाटा उपलब्ध कराने हेतु, अद्यतन नवीकरण कराने तथा शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2015 को प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित की गयी। इसके बावजूद शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित प्रपत्र में डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया एवं अनुज्ञप्ति का अद्यतन नवीकरण नहीं कराया गया। विदित हो की अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लम्बे समय से अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराया गया है। पुनः पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद से पत्रांक 111/शस्त्र दिनांक 26.03.2015 द्वारा विहित प्रपत्र जमा नहीं करनेवाले अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई, के आलोक में ओकरी ओपीओ अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो नीचे वर्णित सूची के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित है—

क्र.	शस्त्र पंजी क्र.सं.	अनुज्ञप्ति सं० एवं शस्त्र सं०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पिता का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति नवीकरण की अंतिम तिथि	शस्त्र विवरण क्षेत्र	अभ्युक्ति
1	8	240/1979 डी.बी.बी.एल.गन	श्री अरुण कुमार पिता-फिरंगी सिंह ग्राम-अनतपुर, थाना-ओकरी	31.12.81	पुराना गया जिला	शस्त्र क्रय नहीं किया गया है।
2	9	255/208/212/1978 डी.बी.बी.एल.गन	श्री श्यामदेव शर्मा पिता-हरीचरण सिंह ग्राम-पिताम्बरपुर थाना-ओकरी	31.12.80	जहानाबाद अनुमंडल	शस्त्र क्रय नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो गयी है। ओकरी ओपीओ अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।
3	11	300/1982 एनओपीओ बोर राईफल	श्री चन्द्रदेव शर्मा पिता-रामवालक सिंह ग्राम-रुकुनपुरा, थाना-ओकरी	31.12.84	पुराना गया जिला	शस्त्र क्रय नहीं किया गया है। ओकरी ओपीओ अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।
4	12	301/1982 एनओपीओ बोर राईफल	श्री नित्यानंद शर्मा पिता-विवेकानंद शर्मा ग्राम-जयकिशुन विगहा, थाना-ओकरी	31.12.84	पुराना गया जिला	शस्त्र क्रय नहीं किया गया है। ओकरी ओपीओ अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।
5	13	304/1982 एनओपीओ बोर राईफल	श्री राजेन्द्र सिंह पिता-पृथ्वी सिंह ग्राम-विशुनपुर थाना-ओकरी	31.12.84	पुराना गया जिला	शस्त्र क्रय नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो गयी है।

